खण्ड–38, अंक–05
शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनांक 07 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में [illegible] अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
20154

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	''क''
विपक्ष द्वारा श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य वि0स0 के प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित किये जाने का प्रयास	1–4
प्रश्नोत्तर	4–7
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मर्दसू के मजरे कोल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	7
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	8
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा तथा ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	8
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त 5 (6–7) कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	8
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	8
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त कि0मी0 5 (8–9) सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	9
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	9
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	9–10
जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (स्वीकृत)	10–13

विषय	पृष्ठ–संख्या
वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने सम्बन्धी नियम–54 के अन्तर्गत सूचना (स्वीकृत)	13–18
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	18
उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	18–19

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
3—श्रीमती अमृता रावत
4—श्री अरविन्द पाण्डे
5—श्री आदेश चौहान
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
8—श्री गणेश गोदियाल
9—श्री गणेश जोशी
10—श्री चन्दन राम दास
11—श्री चन्द्र शेखर
12—डा० जीत राम
13—श्री दलीप सिंह रावत
14—श्री दान सिंह भण्डारी
15—श्री दिनेश अग्रवाल
16—श्री दिनेश धनै
17—श्री नवप्रभात
18—श्री नारायणराम आर्य
19—श्री पुष्कर सिंह धामी
20—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
21—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
22—श्री प्रदीप बत्रा
23—श्री प्रीतम सिंह
24—श्री प्रीतम सिंह पंवार
25—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26—श्री फुरकान अहमद
27—श्री बंशीधर भगत
28—श्री भीमलाल आर्य
29—श्री मदन कौशिक
30—श्री मदन सिंह बिष्ट
31—श्री मनोज तिवारी
32—श्री मयूख सिंह
33—श्री महावीर सिंह
34—श्री माल चन्द
35—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
36—श्री यतीश्वरानन्द
37—श्री यशपाल आर्य
38—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
39—श्री राजकुमार
40—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
41—श्री राजेश शुक्ला
42—श्री ललित फर्स्वाण
43—श्री विक्रम सिंह नेगी
44—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
45—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46—श्री बिशन सिंह चुफाल
47—डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
48—श्री संजय गुप्ता
49—श्रीमती सरिता आर्या
50—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
51—श्री सुबोध उनियाल
52—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
53—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
54—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
55—श्री सुरेन्द्र राकेश
56—श्री हरक सिंह रावत
57—श्री हरबन्स कपूर
58—श्री हरभजन सिंह चीमा
59—श्री हरिदास
60—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61—श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 07 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य वि0स0 के प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित किये जाने का प्रयास

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हाउस के अन्दर कोई भी उपस्थित नहीं है। यह जिम्मेदारी किसकी है ?

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं, नेता सदन नहीं हैं, ऐसे में क्या हाउस चलेगा ?

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान)

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यह संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन है। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपकी पीठ का आदेश नहीं मान रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि कार्यवाही प्रारम्भ तब हो जब पहले, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन को यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग देख रहे थे, पूरा विपक्ष, दर्शक दीर्घा और सारे लोग यहाँ पर थे, ने कहा कि राजकुमार ठुकराल माननीय विधायक जी के सम्बन्ध में कोई न कोई ऐप्लिकेबल सेटेलमेन्ट कर लिया जायेगा। हमारे सारे विधायकों ने यहाँ पर धरना दिया और आपने कृपापूर्वक हमको दो तीन बार बुलाया, हम आये और जैसा–जैसा आपने करो कहा, हमनें किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको रात को बैठक में बुलाया। बैठक में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसमें राय मशविरा करता हूँ, सुबह तक कोई चीज आपको बताऊँगा। लेकिन मुझे खेद होता है कि इस प्रदेश में इतना ज्यादा को–आपरेशन करने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद भी विपक्ष का, जिस बात के लिए कल सहमति बनी थी, जो बात शाम तक होनी थी, वह बात अभी तक सदन में नहीं आयी। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठी हैं सरकार की तरफ से, आप भी उस समय यहाँ पर बैठी थीं, सारे मंत्रीगण और सदन के लोग बैठे थे और विपक्ष बैठा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि यह सारे सदन के सदस्यों का मामला है और इसमें उनके हित की बात है। यह एक राजकुमार ठुकराल का मामला नहीं है यह सारे सदस्यों से सम्बन्धित है, इसलिए हम इस पर आज शाम तक आपको कोई न कोई पोजेटिव आन्सर दे देंगे। मान्यवर, यह तो सदन की अवमानना है, विशेषाधिकार भंग है। अगर यह बात आज नहीं होती है तो किसी भी हालत में हम सदन को आगे चलने नहीं देंगे, सदन अव्यवस्थित रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह इतनी बड़ी बात है, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि हमने कोई बात कल कह दी हो तो कहने के बाद गम्भीरता से, मैंने यह भी कहा था कि विश्वास पर सदन चलता है, इतने रिश्ते तो होने ही चाहिए, एक दूसरे का हम विश्वास करेंगे। अगर अविश्वास की डोर पहले दिन से तगड़ी हो गई, खिंच गई तो मैं समझता हूँ कि माननीय नेता सदन इस सदन को चला नहीं सकते हैं।

ये जो एक औरा बनाने की कोशिश हो रही है कि हम बहुत अच्छे, वाह–वाह, हमने सब कुछ ठीक कर लिया, मान्यवर, यह नहीं चल पायेगा। क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी से बखूबी परिचित भी हैं। हम इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, विश्वास करते हैं, इसको हमारी कमजोरी न समझा जाये। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि प्रश्नकाल हमारा होता है। लेकिन हमारे एक सदस्य के साथ जो हो रहा है और जिस तरह उसका मजाक बनाया गया और जिस तरह उसको दर–दर ठोकर खाने के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद माननीय नेता सदन जी द्वारा कहा गया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ऐसा लगा वाह–वाह कोई अवतार लेकर आ गये हैं, ये सब कुछ ठीक कर देंगे और आज ढाक के तीन पात। मान्यवर, यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं और सारे मंत्रीगण हैं, सारे सदन के लोग हैं। कल ही कहा था कि इसमें किसी विधायक का मतलब नहीं है, राजकुमार ठुकराल इस सदन की प्रापर्टी हैं, सब के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे लोगों से सम्बन्धित था। इसलिए मैं अपनी तरफ से न बोल के पूरे सदस्यों की तरफ से बोल रहा हूँ जो इस प्रदेश के मुखिया जी ने कहा, हम उसको क्या शब्द कहें, हम उसको किस शब्द से सम्बोधित करें, विशेषाधिकार भंग, सदन की अवमानना, झूठ, फरेब, सत्य से परे। मान्यवर, जो आपको असंसदीय लगता है उसको निकाल दें। लेकिन हमारा गुस्सा जाहिर है। रात में भी गये, बैठे भी, जैसा करो कहा, वैसा हमने करा भी, मान्यवर, विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हैं ? मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि संरक्षण दीजिए, मान्यवर, संरक्षण दीजिए।

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मानननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के इतिहास में .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाण्डे जी, चर्चा नहीं हो रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, इस सदन का नेता हमसे झूठ बोलकर जाये, पूरे विधायकों का और सदन के साथ–साथ आपका भी अपमान करके जो व्यक्ति जाये, मैं इसके विरुद्ध सदन के अन्दर घोषणा करने जा रहा हूँ कि जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है, मैं सदन के गेट के आगे आमरण अनशन पर बैठूँगा। (घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, नेता सदन ने कल आश्वासन दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो नेता सदन ने कहा है उसका पालन करेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास किया। विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने से रोका गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षा अधिकारी, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून के रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों की स्वच्छता के लिये कार्य योजना बनाये जाने पर विचार

*1–श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद की रिस्पना व बिन्दाल नदियों में बढ़ती गन्दगी से बीमारियां होने की आशंका है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उपरोक्त नदियों की स्वच्छता के लिए कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हाँ।

उक्त समस्या के निदान हेतु योजना बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*2–श्री नवप्रभात–

द्वितीय सत्र, 2013 के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या–14 द्वारा उत्तरित होने के आधार पर निरस्त।

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

अतारांकित प्रश्न

हरिद्वार नगर निगम के अन्तर्गत ज्वालापुर क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पेयजल लाइनों को ठीक किये जाने पर विचार

1–श्री आदेश चौहान–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार निगम के अन्तर्गत ज्वालापुर के क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत नई पेयजल लाइनें डालने का कार्य लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व तक किया गया था। तथा मानकों के अनुसार पेयजल लाईनें न डाले जाने के कारण अनेकों स्थानों पर उक्त लाइनें आये दिन फटती रहती हैं जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्य की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त लाइनों को ठीक करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

कुछ क्षेत्रों में पाईप लाईन टैस्टिंग करते समय लीकेज हुई थी, जिसे ठीक करवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सरकार द्वारा पर्वतीय भेड़ पालक किसानों को ऋण के सापेक्ष प्रदत्त अनुदान दिये जाने की कार्यवाही

2–श्री भीमलाल आर्य–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा संचालित छोटे रोमेन्थक एवं खरगोश से सम्बन्धित समेकित भेड़ पालन योजना का संचालन किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि सीमान्त ग्रामीणों द्वारा भेड़ पालन व्यवसाय हेतु विभिन्न बैंकों से ऋण लिया गया था जिसके सापेक्ष पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा 33.33 प्रतिशत अनुदान दिया जाना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और भेड़ पालकों को ऋण चुकाने में अत्यधिक कठिनाई आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्वतीय भेड़ पालक किसानों को ऋण के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को शीघ्र प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदान दिये जाने की कार्यवाही नाबार्ड द्वारा किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये जाने के पश्चात ही वितरित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत कुल 304 आवेदनों के सापेक्ष 87 लाभार्थियों को ` 31.287 लाख का अनुदान वितरित किया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कुल 463 आवेदनों के सापेक्ष 201 लाभार्थियों को ` 43.843 लाख का अनुदान वितरित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु शेष अनुदान की धनराशि भारत सरकार के स्तर से अवमुक्त की जानी है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही नाबार्ड द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

यह नाबार्ड स्तर पर भारत सरकार से अनुदान राशि अवमुक्त होने पर निर्भर होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के कारागारों में डिप्टी जेलरों के पदों पर पदोन्नति करने पर विचार

3–श्री भीमलाल आर्य–

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कारागारों में डिप्टी जेलरों के पद रिक्त पड़े हैं जिस कारण कारागारों में प्रशासनिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी शासनादेश के अनुसार 2 वर्ष पूर्व डिप्टी जेलर के पदों पर पदोन्नति हो जानी थी, नहीं हुई है ?

क्या यह सत्य है कि इन पदों पर डी0पी0सी0 भी हो चुकी है लेकिन सरकार डिप्टी जेलरों के पदों पर पदोन्नति नहीं कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पदोन्नति करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

जी हाँ। उपलब्ध संसाधनों एवं कार्मिकों का पूर्ण सदुपयोग किये जाने के फलस्वरूप डिप्टी जेलर के पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश जेल प्रशासनिक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980 (उत्तराखण्ड अनुकूलन उपान्तरण आदेश 2002) के प्राविधानों के क्रम में डिप्टी जेलरों के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु अभी तक कोई डी0पी0सी0 नहीं हुई है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 03:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 3:15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 बजकर 15 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी का कोई भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं था)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मर्दसू के मजरे कोल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मर्दसू के मजरे कोल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में" श्री कलम सिंह नेगी, निवासी ग्राम कोल, ग्राम सभा मर्दसू व पो0 मर्दसू, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में "श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम मर्दसू, ग्राम व पो0 मर्दसू, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा तथा ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा तथा ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त 5 (6–7) कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त 5 (6–7) कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजदीप भारद्वाज, निवासी ग्राम व पो0 कटापत्थर, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त कि0मी0 5 (8–9) सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त कि0मी0 5 (8–9) सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1–श्री मदन कौशिक, 2–श्री मालचन्द, 3–श्री बंशीधर भगत, 4–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री बंशीधर भगत, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री भीमलाल आर्य, श्री चन्दन राम दास तथा श्री बिशन सिंह चुफाल, 5–श्री राजेश शुक्ला, 6–श्री बिशन सिंह चुफाल तथा 7–श्री चन्दन राम दास की कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

मैं इनमें से 1–श्री मालचन्द्र, 2–श्री बंशीधर भगत, 3–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री बंशीधर भगत, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री भीमलाल आर्य, श्री चन्दन राम दास तथा श्री बिशन सिंह चुफाल, 4–श्री राजेश शुक्ला तथा 5–श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री माल चन्द, माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 10 फरवरी, 2014 से दिनांक 21 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>फरवरी, 2014</u>

10 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
11 मंगलवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा।
	(2) विधायी कार्य–

1–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

12 फरवरी, 2014 से 21 फरवरी, 2014 तक के शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–14 पर माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–15 पर माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–16 पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य, जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का देहरादून जिले का पछुवादून एक क्षेत्र है, जिसमें विकासनगर से लेकर चकराता तक चार विकास खण्ड आते हैं। यह यमुना घाटी का सामरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक केन्द्र तो है ही साथ में सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम इसी क्षेत्र से, टिहरी जनपद से होते हुए उत्तरकाशी जनपद तक जाते हैं। जहां हमारा यमुनोत्री नाम का एक तीर्थ स्थल भी स्थापित है। सामरिक महत्व इसलिए भी कहा है कि अभी तक हमारे पास सेना को ले जाने

के लिए एक मात्र रास्ता गंगोत्री वाला ही है। सेना को देहरादून या हरिद्वार से ही रेल मार्ग की सुविधा प्रदान है। यह वैकल्पिक मार्ग इस दृष्टि से दिया है कि हमारा यह मार्ग सबसे पुराना मार्ग है। विकासनगर का क्षेत्र पूर्व से ही सीधे सहारनपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और हम देहरादून मार्ग का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इस रेल मार्ग की संस्तुति करने का एक कारण यह है कि इस मार्ग पर सैलाकुई और लांघा औद्योगिक क्षेत्र पड़ते हैं, साथ ही पांवटा साहिब हिमाचल राज्य का औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ता है। इसके अलावा इसमें यमुना नगर हरियाणा राज्य का औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ता है और हमारा जो हरिद्वार का औद्योगिक क्षेत्र है वह भी इस रेल मार्ग से सीधे रूप से लाभान्वित होता है।

अभी जो वास्तविक स्थिति है कि हमें देहरादून से जो रेल लिंक मिलता है और वह हरिद्वार एवं रुड़की होते हुए सहारनपुर तक पहुँचता है और उसकी लम्बाई अत्यधिक है और अगर हम भविष्य की दृष्टि से देखें तो जब हम इस रेल मार्ग को कभी दो लाईन का रेल मार्ग बनाना चाहें तो उसमें बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क, हरिद्वार शहर और गंगा नदी की स्थिति कुल मिला कर ऐसी है कि वहां पर कहीं भी चौड़ीकरण की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा। अगर हम यह रेल मार्ग को ले आते हैं तो हमें सीधा फायदा यह होगा कि सहारनपुर से दिल्ली की दूरी लगभग दो घंटे की है और हम 70–80 किमी0 रेल मार्ग से, धर्मावाला से सहारनपुर सीधे पहुँच जायेंगे, इस प्रकार देहरादून से दिल्ली की दूरी लगभग चार घंटे की रह जायेगी। यह धर्मवाला जो स्थान है वह विकास नगर विधान सभा में स्थापित नहीं है बल्कि यह सहसपुर विधान सभा का भाग है, इससे हमारे किसानों की सेब व आलू की मुख्य उपज को सबसे ज्यादा फायदा होगा और यह उत्तरकाशी तथा चकराता क्षेत्र से जुड़ा है। जो चकराता क्षेत्र का सेब व आलू है, यह दिल्ली के बाजार तक सीधा जा सकता है।

मान्यवर, हमने जो इस रेल मार्ग का समरेखण प्रस्तावित किया है, उस पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं पड़ता है, उस पर थोड़ा सा रिजर्व फॉरेस्ट पड़ेगा और हमारे पास पूरी भूमि भी उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण चीज इस रेल मार्ग से जुड़ी हुई है। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। इससे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को भी फायदा होगा और उत्तराखण्ड राज्य को भी फायदा पहुँचेगा, तो चार राज्यों को फायदा पहुँचाने वाला यह रेल मार्ग होगा। इसका जो भी बजट होगा, वह उत्तराखण्ड राज्य के प्लान से नहीं कटेगा, बल्कि इसके लिए केन्द्र सरकार बाध्य होगी कि वह अपने संसाधनों से इस रेल मार्ग का निर्माण करे। मान्यवर, इस आशय के साथ मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है। आज नहीं तो कल आने वाले समय में, हमें इस मार्ग के महत्व को स्वीकार करते हुए यह देखना चाहिए कि हमको लम्बे समय में कितना फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उत्तराखण्ड के प्लान से नहीं कटेगा, क्योंकि उत्तराखण्ड में तो इसकी स्थिति 4–5 किलोमीटर होगी, बाकी यह उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। इससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र को फायदा होगा, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल को फायदा होगा, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जोन का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसका उनको फायदा होगा और हमें यमुनोत्री तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल जायेगा।

सीमा की सुरक्षा के लिए, सेनाओं को लाने, ले जाने के लिए 80 किलोमीटर मार्ग के निर्माण से बहुत अधिक सुविधा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग हो जायेगा। मान्यवर, यदि आप एक और दृष्टि से देखें तो हमारी जितनी बड़ी जल विद्युत परियोजनायें इस क्षेत्र में आने वाली हैं जो यमुना और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं, चाहे वह ब्यासी हो, चाहे वह लखवाड़ हो, चाहे वह किसाऊ हो और चाहे टौंस नदियों पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनायें हों, तो उन परियोजनाओं के लिए जो इक्यूपमेन्ट, जो मशीनरी और जो भी चीजें हमें लानी होंगी, तो इस मार्ग के बनने से उसमें बहुत अधिक इजाफा होगा। इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है और मैं माननीय सदन से यह अनुरोध करूँगा कि वे इस मार्ग के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुकम्पा करें। यह राज्य के हित में और राज्य के संसाधनों पर भार न देने वाला और भविष्य की दृष्टि से एक बहुत उचित प्रस्ताव मेरी दृष्टि में है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि वे इसको स्वीकार करें।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं, उन्होंने सांसद के रूप में और केन्द्रीय मंत्री के रूप में स्वयं इसके बारे में रेल मंत्री से अनुरोध किया था, उनका पत्र मेरे पास उपलब्ध है, जिसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के पास अग्रसारित किया था, इस सदन की सहमति भी इसमें मिल जाये तो केन्द्र सरकार हमारे इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करने की अनुकम्पा करेगी ऐसा मेरा विश्वास है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस नये रेल मार्ग के लिए इस सदन की सहमति, एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को संस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय श्री नवप्रभात जी द्वारा जो रेल मंत्रालय से संस्तुति की गई है, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय वर्तमान् मुख्यमंत्री के माध्यम से भी यह संस्तुति गई हुई है, पुनः सदन की भावना को सम्मिलित करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह संस्तुति भारत सरकार को भेज दी जायेगी।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसमें मेरा अनुरोध यह था कि इसमें माननीय विधान सभा का प्रस्ताव हो जाये और यह माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी जाये और आपके माध्यम से भी जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य सहमत होंगे तो इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य, जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने सम्बन्धी नियम–54 के अन्तर्गत सूचना

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य और ग्रामीण परिवेश का राज्य है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की और पर्वतीय क्षेत्रों की अधिसंख्य जनसंख्या खाना बनाने और दूसरे कार्यों के लिए वनों पर आश्रित है और जलौनी के रूप में वनों की लकड़ी का प्रयोग करती है और जब हम ऑक्सीजन क्लियरिटी मांग, उन वनों के लिए केन्द्र सरकार से करते हैं तो उन वनों को संरक्षित रखना, उन वनों को बचाना भी सरकार का कर्तव्य है। उनको बचाने के लिए पहाड़ में जो खाना बनाने के लिए, जलौनी के रूप में जाड़े के दिनों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उनके स्थान पर उनको आधे रेटों में गैस के सिलेण्डर उपलब्ध करायें, उसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार दे। वनों को संरक्षित करने के लिए जो हमारे पास बजट है, उससे भी यह सब्सिडी दी जा सकती है, क्योंकि उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों का संरक्षण होगा, वनों पर जन दबाव कम होगा, इसलिए सरकार इस सुझाव को गम्भीरतापूर्वक ले।

मान्यवर, सदन में ही आज यह घोषणा हो कि वह समस्त पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र जहां जलौनी लकड़ी को ईधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनों को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार, उन जगहों पर सस्ते गैस के सिलेण्डर हमारे राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों और दूसरे परिवारों को सरकार की योजना के अन्तर्गत जो 10 सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाते हैं, यह सिलेण्डर राज्य सरकार वर्ष में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक सिलेण्डर को रियायती मूल्य पर दे, जिससे कि उन जगहों पर लोगों को सुविधा हो और हमारे वन भी संरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सरकार इसमें कोई ठोस पहल करते हुए, कोई ठोस निर्णय लेगी। अन्त में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव माननीय हेमेश खर्कवाल, माननीय मयूख महर एवं माननीय गणेश गोदियाल ने रखा है, इसमें मैं दो–चार शब्द और जोड़ना चाहता हूँ।

इस पर पूर्व में भी कांग्रेस की एक सरकार के समय कार्य हुआ था। माननीय ब्रह्मदत्त जी, तत्समय पेट्रोलियम मंत्री थे। मान्यवर, उस समय गैस के सिलेण्डर पर ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी का उनका प्रयास था। उस समय वास्तविक स्थिति यह थी कि गैस को पहाड़ के अन्दर ले जाने में जो कॉस्ट आती थी, और जो गैस का वास्तविक मूल्य था, वह दोनों लगभग बराबर थे। मान्यवर, जब हरिद्वार का वोटलिंग प्लांट स्थापित हुआ था तो इसके स्थापित होने के बाद हरिद्वार और देहरादून के रेट की ही गैस उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसी जगहों में उपलब्ध होने लगी थी। मान्यवर, अब गैस का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उस तुलना में उतनी अधिक नहीं बढ़ी है, इसलिए हमें निश्चित रूप से चाहे वह राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास करे या वनों को संरक्षित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार से अनुरोध करे। क्योंकि जब यह गैस सस्ती हुई तो सस्ती गैस होने के बाद हमने वनों पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ते हुए देखा है। लोगों ने जलौनी लकड़ी के पेड़ों को काटना कम किया था। मान्यवर, इतनी अच्छी चीज के लिए राज्य सरकार अगर अपने संसाधनों से प्रयास कर सकती है तो राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना चाहिए, नहीं तो फाईनेंस कमीशन ने हमें जो ग्रीन बोनस दिया है, उसका एक अंश इस पर प्रयोग करने की अनुमति ली जाय। केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह अब गैस की दरों में भी सब्सिडी हमें प्रदान करे। जहां तक मेरी जानकारी है ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी अभी तक लागू है।

श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है। मान्यवर, यह जो दोनों बातें हैं कि वनों को संरक्षित करना और सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना तो मैं समझता हूँ कि वनों को संरक्षित करने के लिए सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाना बहुत आवश्यक है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 1970 से लेकर 1980 तक की बात है, उस समय हम छोटे बच्चे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि यह एक ऐसा समय था जब वनों पर पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक भार था और वह सबसे बड़ा भार था, घरेलू ईधन की पूर्ति के लिए जलौनी लकड़ी का।

मान्यवर, जब हम स्कूल से घर आते थे तो स्कूल से आने के बाद हम जब जंगल में लकड़ी के लिए जाते थे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव ऐसी जगह पर है, जहां पर चीड़ का बहुत भारी जंगल है। मान्यवर, चीड़ के फल जिनको हम स्यूंता कहते हैं, यदि यह फल एक भी कहीं पर गिरा हुआ दिखाई देता था तो लड़कों में उस फल को पाने की होड़ मच जाती थी। मान्यवर, हम एक बोरा रखते थे और उस बोरे में उनको

जमा करते थे। इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में करते थे। मान्यवर, उस समय ऐसी स्थिति थी कि पूरे जंगल में एक भी छोटा पेड़ नहीं दिखाई देता था, यदा–कदा ढलानपर ही छोटे पेड़ दिखायी देते थे, उन स्थानों पर जाना भी मुश्किल होता था। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव नौड़ी है, उस समय इस गांव के ऊपर का भू–भाग सफेद हो गया था, लोगों ने पूरा जंगल काट दिया था। मान्यवर, बाद में जब गैस सिलेण्डरों का प्रचलन बढ़ा तो निश्चित रूप से जंगलों पर भार कम हुआ है। मान्यवर, वन विभाग हर वर्ष, मैं यहां पर किसी विभाग की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह सत्यता है कि वन विभाग लाखों–करोड़ों रुपये वृक्षारोपण पर खर्च करता है कि जंगल बचा रहे, लेकिन उन वृक्षों के रोपण के फलस्वरूप जितने जंगल बढ़े हैं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जंगल इसलिये बढ़े, क्योंकि पहाड़ में गैस सिलेण्डरों का प्रचलन बढ़ा।

आज के युग में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, सिलेण्डरों की कीमत भी बढ़ गई है, फिर यह हो रहा है कि लोग बचा–बचा कर सिलेण्डरों को चला रहे हैं, ताकि गैस सिलेण्डर ऐन वक्त पर काम आ सके और इससे फिर वनों पर भार पड़ने लगा है। यह भारत सरकार की चिन्ता का विषय भी है क्योंकि यह पूरे हिमालयी क्षेत्रों की चिन्ता है और यह पर्यावरणविदों के सोचने का विषय भी है। यह पहाड़ की महिलाओं से सम्बन्धित बात भी है क्योंकि उन्हें जलावन की लकड़ी के लिये वनों पर आश्रित रहना पड़ता है। महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि हमारी सरकार, यह सदन इस बारे में निर्णय ले, अभी तो यह मात्र नियम–54 का विषय है, मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर यह प्रस्ताव लाये और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भारत सरकार में जाये। जैसे ग्रीन बोनस की बात हुई है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यदि यह ग्रीन बोनस हमारे प्रदेश को मिले तो उसका अधिकांश हिस्सा गैस सिलेण्डरों को सस्ता करने में खर्च हो। छोटी–छोटी इकाईयों, न्याय पंचायत के स्तर पर सिलेण्डरों की एजेन्सी खुले और लोगों को आसानी से गैस सिलेण्डर मिल सके। अगर कोई पर्यावरण की बात करते हैं तो ईमानदारी से यह बात सोचने योग्य है कि पहाड़ों में जितनी सुगमता से हम गैस सिलेण्डर पहुंचा पायेंगे, उतना ही पर्यावरण संरक्षण होगा। जहां तक जल स्रोतों को रिचार्ज करने की बात है तो उसके लिये भी वनों का होना बहुत आवश्यक है, यदि लोगों के पास पर्याप्त गैस सिलेण्डर होंगे तो लोग ईंधन के लिये वनों पर आश्रित नहीं रहेंगे।

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और सरकार से यह उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस सत्र में यह प्रस्ताव लाये। यदि इस सत्र में किसी कारण से लाना सम्भव नहीं हो तो अगले सत्र में इस आशय का प्रस्ताव अवश्य लाये और वनों के इर्द–गिर्द जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें गैस सिलेण्डर सस्ते दाम पर मिल सके, इसे सुनिश्चित किया जाय, ताकि वनों पर ईंधन के लिये पड़ने वाला दबाव कम हो सके।

*श्री विक्रम सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जब से गैस के सिलेण्डर पहाड़ों में आये, उसके बाद जंगलों में तो वृद्धि हुई ही है तथा जो लोगों की खेती है, वहां पर भी वृक्षों में वृद्धि हुई है। लेकिन जब से इसमें क्राइसिस होने लगी और गैस के सिलेण्डर महंगे होने लग गये, तो तब से लोग गढ़वाली भाषा में कहने लगे कि अब सुविधा लगि हटोंण, कहने का मतलब यह है कि आपने सुविधा दी और उसकी आदत में भी आ गया, अब उनको दरांती लेकर जंगल लकड़ी लेने नहीं जाना है। लेकिन अब यह बहुत महंगी होने जा रही है, इस कारण गरीब आदमी इसे खरीद नहीं पा रहा है। कई बार इसमें इतनी क्राइसिस होती है कि यह टाइम पर उपलब्ध भी नहीं होता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तराखण्ड के जंगलों को बचाने का प्रश्न है और उत्तराखण्ड की जनता के हित का प्रश्न है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर जोर देकर ऐसा निर्णय लिया जाय जिससे उत्तराखण्ड की जनता को सस्ती गैस उपलब्ध हो सके, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, जिससे जंगलों को बचाया जा सके। इससे जंगलों में भी वृद्धि होगी और वन विभाग से भी निवेदन है कि वन विभाग इस बात पर समय–समय पर मानीटरिंग भी करे। मुझे नहीं लगता की जंगल लगाने से लगा है, जंगल तो उसे कटने से बचाने से बचा है, इसलिये इस पर ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

*श्री उमेश शर्मा "काऊ"–

मान्यवर, यहां पर गैस पर चर्चा हो रही है, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश गैस की आपूर्ति कम होने से त्रस्त है। मेरा आपसे एवं पूरे सदन से अनुरोध है कि गैस की आपूर्ति बनाने के लिये एक नीति बनाई जानी चाहिये, जिससे गैस की अधिकता अधिक से अधिक हो, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्रों में हो या मैदानी क्षेत्रों में हो, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जो भी हमारी कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह सही है कि विगत दिनों में वनों का जब बहुत कटान उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने लगा जलाने की लकड़ी के लिए तो भारत सरकार के माध्यम से ही ये प्रस्ताव आया कि गैस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पहुँचायी जाय और अभी जैसा माननीय नवप्रभात जी ने कहा था कि माननीय ब्रह्मदत्त जी ने ही हल्द्वानी में तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में उनके डिपो स्थापित किये और उससे गैस की सुविधा मिली। यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता भी है, पर्वतीय क्षेत्र की आवश्यकता भी है, पर्यावरण की भी आवश्यकता है,

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रीन बोनस यदि हम मांगते हैं तो उसकी भी आवश्यकता है। वन संरक्षित रहें, वरना पूरे के पूरे पेड़ साफ हो गये थे तो गैस के आने से वन संरक्षित हुए और यह क्रम जारी रहना चाहिए। अब जहां तक माननीय नवप्रभात जी ने कहा कि इस पर सब्सिडी मिले, यह आर्थिक प्रकरण है। उन्होंने ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी की बात की कि वो दे रहे हैं अभी। तो सब्सिडी वित्तीय प्रश्न आ जाता है। अब उस वित्तीय प्रश्न पर तो परीक्षण करना होगा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता देखनी होगी, यदि भारत सरकार से भी मांगना है तो अभी प्लानिंग कमीशन के सामने हमारे प्रस्ताव गये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात—

मान्यवर, फाईनेन्स कमीशन भी आ रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, हाँ, प्लानिंग कमीशन अभी तय करेगा तो उस सम्बन्ध में बात की जा सकती है कि क्या प्लानिंग कमीशन इस दिशा में हमारी कोई मदद कर सकता है।

श्री नवप्रभात—

मान्यवर, फाईनेन्स कमीशन कर सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, तो इस पर विश्लेषण कर बातचीत करके इसका रास्ता, गैस मिलनी चाहिए, सस्ती भी मिले। यह सही है और वन संरक्षित रहें यह जनहित में भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित है, राज्य और राष्ट्र की दृष्टि से भी उचित है। तो इस सम्बन्ध में विस्तार से बातचीत कर लेंगे। कैबिनेट में भी इस तरह का प्रकरण आ सकता है।

श्री नवप्रभात—

मान्यवर, इसमें जब फाईनेन्स कमीशन के सामने हम प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें तो हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि अब 12 सिलेण्डर प्रति परिवार है और जितने परिवारों की संख्या है उससे हम जोड़ लें तो हम सब्सिडी का पार्ट भी निकाल लेंगे। और यह आसानी से ग्रीन बोनस का पार्ट बन जायेगा और फाईनेन्स कमीशन इसे स्वीकार भी कर लेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, चलिये, आपने सुझाव दिया है। फाईनेन्स के लोगों के साथ, प्लानिंग कमीशन और फाईनेन्स वालों के साथ वार्ता हो जायेगी, इसे तय करा लिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 पर माननीय सदस्य श्री हरीश धामी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री चन्दन राम दास तथा श्री पूरन सिंह फर्त्याल की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़ वृहद पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव के गुम होने की जाँच के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति, जिसका कार्यकाल 10 फरवरी, 2014 को समाप्त हो रहा है, का कार्यकाल वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–13(क) पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं मंगलवार 11 फरवरी, 2014 तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 03 बजकर 45 मिनट पर दिन मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक: 07 फरवरी, 2014

जगदीश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 वि0 सभा / 36–27–05–2015–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।